आर टी आई मामला

फा. सं. ।।-18015/31/2014-एन एम.।।।
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(नक्सल प्रबंधन प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 13 मार्च, 2014

सेवा में,

श्री मनोज कुमार तिवारी,
पुत्र श्री अभिमन्यु तिवारी,
ग्राम-नेमछपरा,
डाकघर एवं पुलिस थाना-हल्दी
जिला-बलिया (उत्तर प्रदेश)

Pls Issued RTI.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके दिनांक 07.01.2014 के आवेदन के तहत मांगी गई सूचना।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के लिए लोक सूचना अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित आपके दिनांक 07.01.2014 के आवेदन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 10 फरवरी, 2014 के पत्र सं. ए 43020/01/2014-आर टी आई का अवलोकन करें।

2. उक्त आवेदन के बिंदु सं. (7) के संबंध में सूचना निम्नानुसार मुहैया करवाई जाती है:

2.1 केन्द्र सरकार ने सुरक्षा, विकास, सुशासन सुनिश्चित करने तथा लोक अवधारणा प्रबंधन के क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है। राज्य सरकारें मुख्य रूप से राज्यों में वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को देखती हैं। केन्द्र सरकार गहन रूप से स्थिति की मानीटरिंग करती है तथा सुरक्षा एवं विकास संबंधी अनेक योजनाओं के जरिए राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सम्पूरित करती है।

2.2 वामपंथी उग्रवादियों को मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों की अपनी समर्पण एवं पुनर्वास नीतियां हैं। तथापि, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के तहत केन्द्र सरकार अन्य बातों के साथ-साथ समय-समय पर संशोधित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वामपंथी उग्रवादी काडरों के समर्पण एवं पुनर्वास पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।

3. अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत अपील, यदि कोई हो, तो वह इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर की जा सकती है तथा इस सूचना के संबंध में अपील श्री एम. ए गणपति, संयुक्त

...क्रमशः 2/-

21 मार्च

सचिव, नक्सल प्रबंधन प्रभाग, कक्ष सं. 193-ए/1 नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के समक्ष की जा सकती है।

(रामबीर सिंह)
निदेशक (एन एम) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रति प्रेषित:-

1. श्री श्रीनिवास प्रधान, उप सचिव (ए) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को दिनांक 10 फरवरी, 2014 के का. ज्ञा. सं. ए 43020/01/2014-आर टी आई के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

9.3.14

P.s Issued
R.P.I.

दिनांक - 07/01/15

सेवा में,

आदरणीय केन्द्रीय जन सूचना पदाधिकारी
प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली

URGENT
RTI ACT
16/01/15

प्रश्न RTI Act 2005 से संबंधित है, कृपया उत्तर स्पष्ट देने की कृपा करें।

1. भारतवर्ष में अभी तक अन्त्योदय कार्ड, पीला कार्ड, लाल कार्ड, इंदिरा आवास, जॉब कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राजीव गांधी विद्युतीकरण, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, के लाभार्थियों की संख्या कितनी है, राज्यवार सूची देने की कृपा करें।

2. पूरे भारतवर्ष में अभी तक स्कूल स्तर से कॉलेज स्तर तक SC/ST/OBC/General/Minorities/Disable छात्र - छात्राओं की संख्या कितनी है, राज्यवार सूची देने की कृपा करें।

3. विकलांग छात्र - छात्राओं के लिये भारत वर्ष में कितने विश्वविद्यालय एवम् कॉलेजों का गठन किया गया है बताए।

4. भारतवर्ष के जेलों में 60 वर्ष से ऊपर उम्र के कैदियों की संख्या कितनी है राज्यवार सूची देने की कृपा करें।

5. भारतवर्ष के बाल सुधार गृह में 6 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों की संख्या, 10 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों की संख्या, 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों की संख्या कितनी है, राज्यवार सूची देने की कृपा करें।

3891543

IPO No 75F 686/ 462561

6. भारतवर्ष के तमाम I.C.S.E एवम C.B.S.E बोर्ड के स्कूलों में RTE के तहत 25% BPL छात्रों बच्चों का दाखिला कितना सही साबित हो पाया, 2008 से अभी तक पूरी सूची देने की कृपा करें, राज्यवार एवम जिलावार सूची देने की कृपा करें।

7. नक्सलवाद पर विराम लगाने हेतु एवम नक्सलियों को जीवन के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किन केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है या योजना बना रही है बताए।

8. पूरे भारतवर्ष में IAS, IPS एवम IRS की कुल संख्या कितनी है किस राज्य के कितने IAS, IPS, एवम IRS हैं उनके नाम के क्रम में सम्पूर्ण ब्यौरा देने की कृपा करें।

9. भारतवर्ष में रहने वाले तमाम जाति एवम धर्मों के लोगों को और एकता एवं मजबूती प्रदान करने के लिये साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने वाले जनप्रतिनिधि के विरुद्ध केन्द्र सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है बताए।

10. तमाम तरह के पैकेटस या पोस्टरस पर (किसी भी धर्म) के देवी-देवता, देश का राष्ट्रीय ध्वज, देश के वीर शहीदों का फोटो या हो क्योंकि इनसभी सामानों के प्रयोग होने के बाद कूड़ा-कचरा या नालों में फेंक दिया जाता है, ऐसे सभी चीजों पर केन्द्र सरकार कब तक रोक लगाएगी, बताए।

प्रेषक: HIMANSHU K. TIWARY S/O SRI ABHIMANYU TIWARY vill- Nemchapra, post- PS- Haldi, Distt Ballia Uttarpradesh